न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 19/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/108)	04.08.2025	11.08.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक,
नैनवां, जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

नैनवां इण्डेन गैस एजेन्सी (आईओसीएल), नैनवां
तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन निरीक्षक, नैनवां द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर जप्त शुदा 01 खाली गैस सिलेण्डर के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 19/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/108 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी आरंभ में स्वयं उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु आगामी नियत पेशियों पर अप्रार्थी के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 22.06.2016 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 11.11.2014 को प्रवर्तन निरीक्षक, नैनवां द्वारा नैनवां इण्डेन गैस एजेन्सी, नैनवां का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण प्रोपराईटर विनोद बिहारी शर्मा के पुत्र अमित कुमार शर्मा द्वारा फर्म का निरीक्षण संपादित करवाया गया। फर्म के गैस गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर 19 किलोग्राम श्रेणी का 1 खाली सिलेण्डर अधिक पाया गया, जिसे जब्त राज किया गया। पूछताछ में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त खाली गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से नैनवां इण्डेन गैस एजेन्सी, नैनवां के प्रतिनिधि श्री विनोद बिहारी शर्मा की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राजस्थान पेट्रोलियम प्रॉडक्ट आदेश 1990 की शर्तो एवं एल.पी.जी. गैस आदेश 2000 के उपलब्धों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी की फर्म पर 19 किलोग्राम श्रेणी का 1 खाली गैस सिलेण्डर का अधिक होना पाया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरूद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राजस्थान पेट्रोलियम प्रॉडक्ट आदेश 1990 की शर्तो एवं एल.पी.जी.गैस आदेश 2000 के उपलब्धों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा खाली गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 45827 INDANE शुद्ध वजन 19 किलोग्राम के राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये उक्त 1 गैस सिलेण्डर के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी